उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

पृष्ठांकन कमांक C/836 जबलपुर, दिनांक 23/01/2024

प्रतिलिपिः–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर, म.प्र.
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर, म.प्र.,
3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश......................(समस्त), म.प्र.,
4. जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर, मध्यप्रदेश,
5. पीठासीन अधिकारी, परिवार न्यायालय...........................(समस्त) म.प्र.,
6. संचालक, म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. ओ.एस.डी.(लेखा)..................................(समस्त), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
8. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1, 2/जिला स्था./सतर्कता/आई.एल./एक्जाम, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
9. ओ.एस.डी.(कम्प्यूटर), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
10. ओ.एस.डी.कम–पी.पी.एस. उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
11. एस.पी.एस.ए.(एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
12. मेम्बर सेकेटरी, म.प्र. राज्य विधिक सेवा समिति जबलपुर, म.प्र.,
13. मेम्बर सेकेटरी (एस.सी.एम.एस.), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
14. डिप्टी कन्ट्रोलर एकाउन्टस, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
15. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम.)......................(समस्त), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
16. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.)......................(समस्त), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
17. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम.) ....(समस्त), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
18. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.)/इंचार्ज..........................(समस्त), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
19. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के सेकेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
20. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार न्यायिक/आई.एल.आर. एवं परीक्षा/सतर्कता, महोदय के सेकेटरी टू द जेजस, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
21. सहायक संपादक (आई.एल.आर.), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
22. लाइब्रेरियन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
23. सहायक(स्थापना)/(सैट)/(लेखा)/(बजट)/(पेंशन)/(वेतनपत्रक)/(अवकाश) (राजपत्रित), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्नः– मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल का पत्र कमांक–F–19–22/2023/1/4 भोपाल दिनांक 15.12.2023 (नगरीय निकायों के उप निर्वाचन) सहपत्रों सहित

(संजय कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004.

क्रमांक: एफ 19–22/2023/1/4

भोपाल, दिनांक 15/12/2023

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. संभागायुक्त – जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, शहडोल, नर्मदापुरम, चंबल, सागर एवं रीवा मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर जिला – कटनी, भोपाल, खण्डवा, रतलाम, जबलपुर, शहडोल, बैतूल, नरसिंहपुर, श्योपुर, इंदौर, दमोह, मंडला, राजगढ़, देवास, सतना एवं धार मध्यप्रदेश ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी – जिला पंचायत, कटनी, भोपाल, खण्डवा, रतलाम, जबलपुर, शहडोल, बैतूल, नरसिंहपुर, श्योपुर, इंदौर, दमोह, मंडला, राजगढ़, देवास, सतना एवं धार, मध्यप्रदेश

विषय: प्रदेश के नगरीय निकायों के उप निर्वाचन वर्ष 2023 (उत्तरार्द्ध) हेतु आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होने के संबंध में।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 06/12/2023 द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों के उप निर्वाचन वर्ष 2023 (उत्तरार्द्ध) हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। (छायाप्रतियां संलग्न) उक्त निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा दिनांक 11/01/2024 तक प्रभावशील रहेगी।

2/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श आचरण संहिता संबंधी निर्देशों की पुस्तक पूर्व में भेजी जा चुकी है, यह स्थायी स्वरूप के निर्देश है। उक्त निर्देशों में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो इस संबंध में यथासमय अवगत कराया जावेगा। अतः आदेशानुसार निवेदन है कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(दिलीप कुमार कापसे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक: एफ 19–22/2023/1/4

भोपाल, दिनांक 15/12/2023

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/विधानसभा म.प्र. भोपाल।
2. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
3. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
5. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
6. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
7. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

RA 27.12

High Court of Madhya Pradesh
JABALPUR
27 DEC 2023
Reg No 59678

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स भोपाल 462011
Email - mpsec@mp.gov.in
Ph.No. - 0755-2555527

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

******

क्रमांक-एफ-53NN-02/2023/पांच/3846 भोपाल, दिनाँक 06/12/2023

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला-समस्त (म0प्र0)

विषयः-नगरीय निकायों के उप निर्वाचन वर्ष-2023 (उत्तरार्द्ध) हेतु निर्वाचन कार्यक्रम।
संदर्भ- आयोग के पत्र क्रमांक एफ-52NN-01/2023/पॉच/42-44 दिनांक-24.01.2023.

---0---

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा नगरीय निकायों के उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्द्ध) सम्पन्न कराने हेतु फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में कार्यक्रम/निर्देश जारी किये गये, जिले से संबंधित नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची जिनमें रिक्त स्थानों (सीटों) की पूर्ति के लिये उप निर्वाचन कराया जाना है, 01 जनवरी 2023 की संदर्भ तिथि के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार/पुनरीक्षित करने का कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन, आयोग द्वारा नियत दिनांक 12/05/2023 को किया गया हैं।

02 राज्य में नगरीय निकायों में दिनांक 30 नवम्बर 2023 की स्थिति में रिक्त स्थानों (सीटों) की पूर्ति के लिये उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्द्ध) सम्पन्न कराने के लिये आयोग द्वारा मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14, मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 सहपठित मध्य प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 21 के अनुसार आयोग, नगरीय निकायों अर्थात् नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् एवं नगर परिषदों में परिशिष्ट-एक में अंकित नगरीय निकायों (आयोग को प्राप्त रिक्त स्थानों की अनन्तिम सूची में) के उप निर्वाचन-2023 (उत्तरार्द्ध) हेतु, संलग्न परिशिष्ट-दो के अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम विहित करता है तथा निर्देशित करता है कि इस कार्यक्रम के अनुसार नियम 21 के अन्तर्गत निर्धारित प्ररूप-2 में सूचना जारी की जाए। प्ररूप-2 के साथ संलग्न कार्यक्रम के कॉलम (खाना)-5 में यह उल्लेख किया जाए कि नाम निर्देशन पत्र प्रतिदिन पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे।

03 **ऐसे नगरीय निकायों के लिए निर्वाचन की सूचना प्रकाशित न की जाए, जिनके निर्वाचन की कार्यवाही किसी न्यायालयीन आदेश के अंतर्गत स्थगित की गई हो अथवा जिनके निर्वाचन न कराए जाने के संबंध में आयोग द्वारा पृथकशः आदेश जारी किया गया हो।**

04 निर्वाचन की सूचना (प्ररुप-2) के साथ-साथ:-

(i) नियम-22 क के अन्तर्गत प्ररूप-2 क में स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन तथा

(ii) नियम-16 की अपेक्षा के अनुसार मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन भी किया जाए।

5. इस निर्वाचन के संचालन की सभी कार्यवाहियॉ मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 तथा आयोग द्वारा समय-समय में जारी निर्देशों के अनुसार संपन्न कराये जायेंगे।

6. आयोग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-70NN-15/2020/पांच/388 दिनांक 26.05.2022 के द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन-2022 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराये जायेंगे।

7. चुनाव में मतदाताओं को "इनमें से कोई नहीं (नोटा)" का विकल्प दिया जाये। अंतिम अभ्यार्थी के पश्चात "इनमें से कोई नहीं (नोटा)" अंकित किया जाये और उनके सामने उसका प्रतीक भी दर्शाया जाये।

8. आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2017 में म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 43(2) में प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग की तरह ई.व्ही.एम. से निर्वाचन हेतु मतपत्र मुद्रण में अब निर्वाचन लड़ने वाले

अभ्यर्थियों के फोटो मुद्रण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अभ्यर्थियों के नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करते समय अभ्यर्थी से 3 फोटो का साईज 2 cm X 2.5 cm के फोटोग्राफ प्राप्त किये जावें।

9. नगरपालिक निगम के महापौर/पार्षद एवं नगरपालिका परिषद तथा नगर परिषद के पार्षद पद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा - 14क एवं 14ख तथा म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-क तथा 32-ख के अनुसार अपने निर्वाचन व्यय का दिन-प्रतिदिन का ब्यौरा रखना होगा। निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण धारा-14ग तथा धारा-32-ग के अन्तर्गत निरर्हित किया जा सकेगा। ऐसा ब्यौरा आयोग द्वारा निर्धारित रजिस्टर में रखा जाना होगा, जिसकी प्रतियाँ पूर्व में भेजी गई थी। यदि आवश्यकता हो तो आयोग कार्यालय से पुनः प्राप्त की जाएं।

10. आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्ररूप-10) में वर्णक्रम निर्धारण हेतु आयोग का पत्र क्रमांक एफ-57एनएन-1/2017/पांच/205 दिनांक 01/04/2017 एवं संशोधित पत्र क्रमांक एफ-57/एनएन/-1/2017/पांच/478 दिनांक 02/07/2018 के अनुसार कार्यवाही की जाना है।

11. मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-63 निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के संबंध में दिये गये नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

12. आयोग के पत्र क्रमांक-एफ-70-36/2015/तीन/न.पा./256 दिनांक 20.04.2016 द्वारा नगरीय निकायों के आम/उप निर्वाचन में लिफाफों की संख्या कम करते हुये, फाईल फोल्डर का उपयोग किये जाने संबंधी निर्देश जारी किये हैं। इन फाईल फोल्डर में वर्तमान में 16 अभिलेख (प्ररूप/प्रपत्र) लगाये जाते है। अब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका निर्वाचन "पीठासीन अधिकारी की बुकलेट" मार्च-2018 तैयार की गयी है। फाईल फोल्डर में 16 अभिलेख लगाये जाते थे। उसमें से प्ररूप-12 "मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति" प्ररूप-17क "मतदाता रजिस्टर" निविदा मतों की सूची एवं निविदा मतपत्र, अप्रयुक्त निविदा मतपत्रों का मोहरबंद लिफाफा, अभिलिखित मतों का लेखा (प्ररूप-18क), (प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक) को छोड़कर शेष अभिलेख बुकलेट में समाहित है। अतः आयोग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश पत्र क्रमांक-एफ-70-36/2015/तीन/न.पा./392 दिनांक 23.05.2018 अनुसार आपके पास उपलब्ध पूर्व के फाईल फोल्डरों में पृ.-2 एवं अंतिम पृष्ठ पर क्रमशः चेकलिस्ट एवं निर्देशों को आयोग के पत्र दिनांक 23.05.2018 अनुसार चस्पा कर फाईल फोल्डरों का उपयोग पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जायें।

13. निर्वाचन की सूचना जारी किये जाने से लेकर निर्वाचन परिणाम की घोषणा किये जाने तक की समस्त प्रक्रियाए, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित ऑन लाईन एप्लीकेशन IEMS (Integrated Election Management System) के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें।

14. इस निर्वाचन के संबंध में आयोग को आवश्यक जानकारी पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्ररूपों में यथासमय प्रेषित की जाए। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त होने के संबंध में दैनिक प्रतिवेदन भेजा जाए, निर्विरोध निर्वाचन के मामले में प्ररूप-14 में निर्वाचित होने की घोषणा की प्रति तथा मतदान की स्थिति में प्ररूप-23 में (जैसी भी स्थिति हो) विवरणी की प्रति समयावधि में आयोग को अवश्य भेजी जाए।

15. निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ संबंधित नगरीय निकायों (संलग्न परिशिष्ट-एक) के संबंधित नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है, जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा होने तक प्रभावशील रहेगी। अतः आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

16. निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय तौर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।

17. निर्वाचन प्रक्रिया के संपादन में निम्नलिखित प्रावधानों का विशेष ध्यान रखा जाए:-

(i) नगरीय निकायों के आम निर्वाचन हेतु सभी नगरपालिक निगम के महापौर/पार्षद तथा नगरपालिका परिषद एवं नगर परिषद के पार्षद पद हेतु नाम निर्देशन पत्र आयोग द्वारा तैयार नवीन प्ररूप-3 में ही अभ्यर्थियों से प्राप्त किये जावे।

(ii) नामनिर्देशन पत्र शनिवार को भी प्राप्त किये जायेंगे।

(iii) प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ आयोग द्वारा विहित प्ररूप में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिसमें अभ्यर्थी की आपराधिक पृष्ठभूमि, चल-अचल संपत्ति एवं देनदारियों तथा शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी होगी। साथ ही आयोग के पत्र क्र. एफ-70एनएन-23/2022/पांच/534 दिनांक 06.06.2022 द्वारा जाति प्रमाण-पत्र के संबंध में जारी निर्देश का पालन सुनिश्चित करें।

(iv) आयोग के आदेश क्रमांक-एफ-70NN-39/2022/पांच/941 दिनांक 20/06/2022 द्वारा नगरीय निकाय के निर्वाचन के दौरान नामनिर्देशन-पत्रों का समेकित विवरण, विधिमान्यतः नामनिर्देशन अभ्यर्थियों की सूची तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने संबंधी निर्देश का पालन सुनिश्चित करें।

(v) मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण) भाग-4 क्रमांक-22 दिनांक 03 जून 2022 में प्रकाशित नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 में संशोधन तथा आयोग के आदेश क्रमांक - एफ - 69NN-03/2019/पांच/1014 दिनांक 21/06/2022 द्वारा म0प्र0 नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 की संशोधित अधिसूचना का शुद्ध म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) क्र. 311 दिनांक 13 जून, 2022 का विशेष ध्यान रखा जाये।

(vi) आयोग के आदेश क्रमांक-एफ-70NN-02/2017/पांच/676 दिनांक 11/06/2017 के अनुसार मतदाता की पहचान स्थापित करने हेतु पीठासीन अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी आयोग द्वारा निर्दिष्ट अभिलेखों में से कोई एक अभिलेख प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा। (राजपत्र की प्रति संलग्न)

(vii) आयोग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-57NN-01/2019/पांच/456, दिनांक 02.06.2022 द्वारा नगरपालिक निगम के महापौर एवं नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद के पार्षद पद के लिए निर्वाचन प्रतीको के आवंटन की कार्यवाही मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 278 दिनांक 30 मई 2022 में प्रकाशित मुक्त निर्वाचन प्रतीकों को विहित किया गया है। अधिसूचित राजपत्र की प्रति संलग्न है।

(viii) आयोग के आदेश क्रमांक-एफ-70NN-30/2022/पांच/888 दिनांक 17/06/2022 द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 30 एवं 31 की व्याख्या के संबंध में जारी निर्देश का भी विषेष ध्यान रखा जावे। उक्त प्रावधान अनुसार निर्वाचन दलीय आधार पर कराया जाना है।

(ix) मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 26(1) में किए गए संशोधन प्रतिभूति निक्षेप राशि का भी विशेष ध्यान रखा जावे।

(x) आयोग के आदेश क्रमांक-एफ-70NN-32/2022/पांच/646 दिनांक 10/06/2022 द्वारा निर्वाचन में मतदाता पर्ची (वोटर स्लिप) के संबंध में जारी निर्देश का पालन सुनिश्चित करे। मतदान के पूर्व शत् प्रतिशत वोटर स्लिप का वितरण सुनिश्चित किया जाये।

(xi) आयोग के आदेश क्रमांक-एफ-70NN-31/2022/पांच/695 दिनांक 13/06/2022 द्वारा अन्य राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के संबंध में जारी निर्देश का पालन सुनिश्चित करे।

(xii) नगरीय निकायों के आम निर्वाचन ई.व्ही.एम. से कराया जा रहा है। अतः म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के अध्याय-7 "क" का ध्यान रखा जाये।

(xiii) आयोग के आदेश क्रमांक-एफ-70NN-27/2022/पांच/1062 दिनांक 25/06/2022 द्वारा निर्वाचन के दौरान ओपिनियन पोल/एग्जिट पोट के संबंध में जारी दिशानिर्देश का विशेष ध्यान रखा जाये।

(xiv) आयोग के आदेश क्रमांक-एफ-70NN-42/2022/पांच/1092 दिनांक 27/06/2022 एवं आयोग का समसंख्यक पत्र क्र-1229, दिनांक-04.07.2022 द्वारा निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता के नियुक्ति के संबंध में जारी निर्देश का पालन सुनिश्चित करें।

(xv) आयोग के आदेश क्रमांक-एफ-58NN-01/2022/पांच/1088 दिनांक 27/06/2022 एवं आयोग के आदेश क्रमांक-एफ-58NN-01/2022/पांच/1364 दिनांक 16/07/2022 द्वारा मतगणना के संबंध में जारी निर्देश का पालन सुनिश्चित करें।

(xvi) आयोग के आदेश क्रमांक-एफ-69NN-03/2019/पाँच/1221 दिनांक-03.07.2022 द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-54 (निविदा मत) के संबंध में जारी निर्देश का पालन सुनिश्चित करें।

(xvii) आयोग के आदेश क्रमांक-एफ-58NN-01/2022/पांच/1223 दिनांक 03/07/2022 द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में पशुओं का इस्तेमाल नहीं किये जाने संबंधी जारी निर्देश का विशेष ध्यान रखा जाये।

(xviii) आयोग के आदेश क्रमांक-एफ-58NN-01/2022/पांच/1232 दिनांक 04/07/2022 द्वारा मतदान के दिन अभ्यर्थी द्वारा वाहनों का उपयोग संबंधी जारी निर्देश का विशेष ध्यान रखा जाये।

(xix) आयोग के आदेश क्रमांक-एफ-58NN-01/2022/पांच/1231 दिनांक 04/07/2022 एवं आयोग का समसंख्यक क्र-1246 दिनांक-05.07.2022 द्वारा अभ्यर्थी द्वारा मतदान सहायता बूथ बनाए जाने संबंधी जारी निर्देशों का विशेष ध्यान रखा जाये।

(xx) आयोग के आदेश क्रमांक-एफ-58NN-01/2022/पांच/1359 दिनांक 16/07/2022 द्वारा मतगणना के दौरान मोबाईल के उपयोग पर प्रतिबंध संबंधी जारी निर्देश का विशेष ध्यान रखा जाये।

18. आयोग के पत्र क्रमांक-एफ-70NN-03/2021/पांच/88 दिनांक 08.02.2021 निर्वाचन के दौरान स्ट्रांग रूम में रखी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए सुरक्षा के उपयोग- सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया जावें।

19. नगरीय निकायों से संबंधित/आदेश/परिपत्र/निर्देष आयोग की वेबसाइट www.mplocalelection.gov.in से भी डाउनलोड़ कर सकते है।

20. इस पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति आयोग के ई-मेल (mpsec@mp.gov.in) पर तत्काल भेजी जाए।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

(अभिषेक सिंह)
सचिव
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल

पृ. क्रमांक-एफ-53NN-02/2023/पांच/3847

भोपाल, दिनांक 06/12/2023

प्रतिलिपिः-

(1) मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

(2) अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।

(3) अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

(4) प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

(5) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, 17 अरेरा हिल्स भोपाल।

(6) प्रमुख सचिव (कार्मिक) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

(7) पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय भोपाल।

(8) आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, मध्यप्रदेश शिवाजी नगर भोपाल।

(9) संभागीय आयुक्त, समस्त (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।

(10) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम एवं राज्य स्तरीय एजेन्सी भोपाल।

(11) आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्य प्रदेश भोपाल की ओर कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार हेतु अग्रेषित।

(12) आयुक्त-सह-नियंत्रक/उप नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री म.प्र., भोपाल, की ओर मतपत्रों के मुद्रण की व्यवस्था हेतु अग्रेषित।

(13) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

(14) लेखाधिकारी (बजट) एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी, म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
की ओर बजट आवंटन की कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(15) म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग के समस्त अधिकारियों की ओर सूचनार्थ/योग्य कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(16) बजट/व्यय लेखा/स्टोर (स्थापना/निर्वाचन) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(17) आई.टी. शाखा प्रभारी, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग।

(18) गार्ड फाईल।

06/12/2023.
(प्रदीप शुक्ला)
उप सचिव
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल

परिशिष्ट - एक

नगरीय निकायों के उप निर्वाचन (उत्तरार्द्ध) 2023 की अनन्तिम सूची

स. क्र.	जिला	नगरीय निकाय का नाम	वार्ड क्रमांक
1	कटनी	नगरपालिक निगम कटनी	9
2	कटनी	नगरपालिक निगम कटनी	36
3	भोपाल	नगरपालिक निगम भोपाल	41
4	खण्डवा	नगरपालिक निगम खण्डवा	41
5	रतलाम	नगरपालिक निगम रतलाम	31
6	जबलपुर	नगरपालिका परिषद सिहोरा	6
7	शहडोल	नगरपालिका परिषद धनपुरी	28
8	बैतूल	नगरपालिका परिषद सारणी	14
9	नरसिंहपुर	नगरपालिका परिषद करेली	5
10	श्योपुर	नगरपालिका परिषद श्योपुर	3
11	श्योपुर	नगर परिषद विजयपुर	4
12	इन्दौर	नगर परिषद मानपुर	2
13	दमोह	नगर परिषद पटेरा	14
14	मण्डला	नगर परिषद बम्हनीबंजर	5
15	राजगढ	नगर परिषद खुजनेर	3
16	देवास	नगर परिषद सतवास	4
17	सतना	नगर परिषद न्यू रामनगर	2
18	सतना	नगर परिषद न्यू रामनगर	11
19	धार	नगर परिषद डही	5
20	धार	नगर परिषद डही	12
21	धार	नगर परिषद माण्डव	9

* यदि अन्य रिक्ति 31 Nov 2023 तक हो तो जिले स्वयं उसे शामिल कर लेंगे। यह अपेक्षित है।

परिशिष्ट - दो

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन

58 अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462011

------0------

//आदेश//

क्रमांक-एफ-53NN-02/2023/पाँच/3845 भोपाल दिनांक:- 06/12/2023

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा -14(1) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-32(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा धारा-20(2)क, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-36(2)क एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम-21 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा संलग्न परिशिष्ट-एक में अंकित नगरीय निकायों (नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद) के उप निर्वाचन (उत्तरार्द्ध) 2023 हेतु निम्नानुसार समय-अनूसूची (कार्यक्रम) विहित करता है :-

क्रमांक	कार्यवाही	संबंधित नियम	निर्धारित तारीख	समय
1	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करना।	21, 22	15-12-2023 (शुक्रवार)	प्रातः 10:30 बजे से
	(ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के सम्बंध में सूचना का प्रकाशन।	22(क)	15-12-2023 (शुक्रवार)	प्रातः 10:30 बजे से
	(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन।	16	15-12-2023 (शुक्रवार)	प्रातः 10:30 बजे से
2	नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	21(क)	22-12-2023 (शुक्रवार)	प्रात: 10:30 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक
3	नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जाँच)	21(ख)	23-12-2023 (शनिवार)	प्रात: 10:30 बजे से
4	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	21(ग)	26-12-2023 (मंगलवार)	प्रात: 10:30 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक
5	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन।	30, 31	26-12-2023 (मंगलवार)	अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद
6	मतदान यदि (आवश्यक हो)	21(घ)	05-01-2024 (शुक्रवार)	प्रात: 07:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक
7	मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा।	21(ड)	09-01-2024 (मंगलवार)	प्रात: 09:00 बजे से

(अभिषेक सिंह)

सचिव

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल